

ऑनलाइन सामग्री

अवैध या हानिकारक ऑनलाइन सामग्री, जिसमें नस्लवाद, जेनोफोबिया (वदेशियों से द्वेष), बाल यौन शोषण सामग्री, अंतरंग छविका दुरुपयोग या वित्तीय घोटाले शामिल हैं, की रपिर्ट आयरशि इंटरनेट हॉटलाइन को www.hotline.ie पर करें।



आप सुरक्षति, गुमनाम और गोपनीय तरीके से रपिर्ट कर सकते हैं। यदि सामग्री के अवैध होने की पुष्टि हो जाती है, तो इसे उचित अधिकारियों को भेज दिया जाता है, जो अवैध सामग्री को ठीक से नपिटाने और हटाने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ मलिकर काम करते हैं।

कॉइमसियिन ना मयान, आयरलैंड का मीडिया नियामक www.cnam.ie, यह सफ़िरशि करता है कि यदि आपको ऑनलाइन कोई अवैध या हानिकारक सामग्री मलि, तो सबसे पहले इसकी रपिर्ट संबंधित प्लेटफॉर्म को करें। यदि आपको लगता है कि किसी प्लेटफॉर्म द्वारा आपके ऑनलाइन अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया है, तो आप इसकी रपिर्ट कॉइमसियिन ना मयान (Coimisiún na Meán) को कर सकते हैं, जो किसी भी आपराधिक सामग्री को एन गार्डा सओचाना (An Garda Síochána) को भेज देगा।



हेट क्राइम की रपिर्ट कैसे कर
आपातकालीन स्थिति में हमेशा 999 / 112
पर कॉल करें



अपने स्थानीय गार्डा स्टेशन पर हेट क्राइम की रपिर्ट करें।



www.garda.ie पर गार्डा स्टेशन की पूरी डायरेक्टरी देखें।



गार्डा कॉन्फ़िडेंशियल लाइन से 1800 666111 पर संपर्क करें।

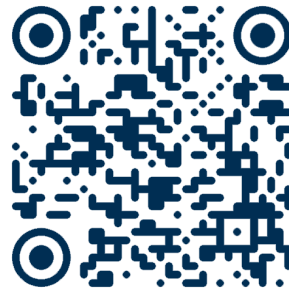


www.garda.ie पर गार्डा ऑनलाइन हेट क्राइम रपिर्टिंग सर्विस का इस्तेमाल करें।



www.garda.ie पर अपने स्थानीय गार्डा डाइवर्सिटी ऑफ़िसर को खोजें।

ऑनलाइन हेट क्राइम की
रपिर्ट करें



An Garda Síochána

Ag Coinneáil Daoine Sábháilte - Keeping People Safe

हेट क्राइम अस्वीकार्य है

आइए मलिकर
घृणा को रोकें

हेट क्राइम की रपिर्ट
अभी करें

हेट क्राइम क्या है?

कोई भी **आपराधिक अपराध** जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ उनके **संरक्षित विशेषताओं** के आधार पर घृणा से ग्रस्त हो। ये हैं:

- नस्ल
- वंश
- रंग
- लिंग
- राष्ट्रियता
- सेक्स विशेषताएँ
- धर्म
- यौन अभिविन्यास
- राष्ट्रिय या जातीय मूल
- वकिलांगता

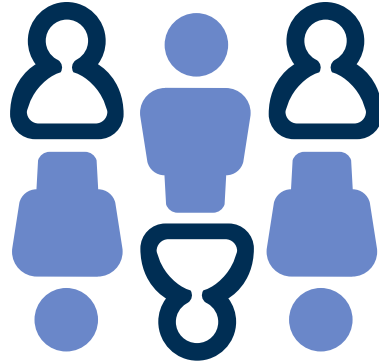
अपराध के प्रकारों में मारपीट, आपराधिक नुकसान या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कृत्य शामिल हो सकते हैं।

हेट क्राइम की रपिर्ट एन गार्डा सओचाना (An Garda Síochána) को करें।

वे घटनाएं जो आपराधिक अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी नुकसान पहुँचाने वाली और परेशान करने वाली होती हैं, उनकी रपिर्ट भी एन गार्डा सओचाना (An Garda Síochána) को की जा सकती है।

हेट क्राइम को क्या अलग बनाता है?

हेट क्राइम अन्य प्रकार के अपराधों से अलग है क्योंकि यह आपके साथ इसलिए किया जाता है कि आप कौन हैं। यह आपके बारे में किसी ऐसी चीज़ पर व्यक्तिगत हमला है जिससे आप बदल नहीं सकते या जिससे आपको बदलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपका रंग, नस्ल, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास आदि।



हेट क्राइम का शिकार कौन हो सकता है?

कोई व्यक्ति, समुदाय या संस्था नफ़रत का शिकार हो सकती है। अगर आपकी पहचान की वजह से आपके साथ हिसा, डराने-धमकाने या दुश्मनी भरा व्यवहार हुआ है, तो हो सकता है कि आप 'हेट क्राइम' का शिकार हुए हों।



क्या यह हेट क्राइम है?

यदि आपको इस बात को लेकर संदेह है कि आपके साथ हुई घटना कोई हेट क्राइम (घृणा अपराध) है या कोई अन्य घटना, तो इसकी रपिर्ट एन गार्डा सओचाना (An Garda Síochána) को करें, जो आपको आगे की सलाह देंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।



एन गार्डा सओचाना

(An Garda Síochána) क्या करेगा?

एन गार्डा सओचाना (An Garda Síochána) हेट क्राइम को बहुत गंभीरता से लेता है और सभी रपिर्टों की संवेदनशीलता और सम्मान के साथ जाँच करेगा। गैर-अपराध घटनाओं को दर्ज किया जाएगा और जहाँ उपयुक्त हो, आगे की कार्रवाई के लिए विचार किया जाएगा।

आपराधिक न्याय (नफ़रत-जनति अपराध) अधिनियम, 2024

यह कानून कुछ ऐसे अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है जहाँ यह साबित हो जाता है कि वे घृणा से प्रेरित थे, या जहाँ घृणा प्रदर्शित की गई थी।

उदाहरण के लिए, यह कानून यह पक्का करता है कि नफ़रत की वजह से की गई मारपीट या नफ़रत की वजह से संपत्ति को पहुँचाए गए नुकसान के लिए सज़ा ज़्यादा होगी।